[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 31/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 31 मई, 2021

सा.का.नि. ...(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1)) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2021- सीमाशुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 286 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(क) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	**(2)**	**(3)**
"19.	29 या 30	एम्फोटेरिसीन बी।";

(ख) पैराग्राफ 2 में, अंक, अक्षर और शब्द "31 जुलाई, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 अगस्त, 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/37/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी(पीटी-I)]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को सा.का.नि. 286(अ), दिनांक 24 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था ।